

भोपाल, दिनांक 29/5/19

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/शि.स्था.3/भाग-2/537/2019/12187 दिनांक 25/05/2019 के द्वारा जिला अधिकारियों को अध्यापक संवर्ग वर्ग-1,2 एवं 3 का नवीन संवर्ग में संविलियन हेतु प्रोफाईल रजिस्ट्रेशन में निम्नानुसार कठिनाई परिलक्षित होने की जानकारी जिलो से प्राप्त हो रही है :-

1. फिंगर प्रिंट केप्चर न होने के कारण रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पा रही है ।
2. मध्यप्रदेश विभाजन के पूर्व के छत्तीसगढ़ राज्य के तत्समय जारी जाति प्रमाण पत्र ऑनलाईन तैयार न हो पाने के कारण ऐसे अध्यापकों को असुविधा हो रही है ।
3. कुछ शिक्षकों द्वारा पूर्व में डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी न होने के कारण सामान्य वर्ग में पंजीयन कराया गया था ।
4. रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों के स्थानांतरण होने के कारण इनकी पदस्था संस्था एवं डी.डी.ओ. परिवर्तित हुये है ।
5. शिक्षा विभाग से आदिम जाति कल्याण विभाग में स्थानांतरित अध्यापकों के रजिस्ट्रेशन हेतु ऐजुकेशन पोर्टल का ऐम्प्लाय कोड की प्रविष्टि के उपरांत सभी फिल्डों में अध्यापक द्वारा सीधे प्रविष्टि करने में कठिनाई आना ।

उक्त कठिनाईयों के निराकरण किये जाने हेतु मुख्यालय स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है ।

1. श्री के.के. खरे, सहायक आयुक्त मुख्यालय
2. श्री जी.एस. भलावी, अनुसंधान अधिकारी, कार्यालय टी.आर.आई. भोपाल
3. श्री प्रवीण भाटी, सहायक संचालक मुख्यालय (शिक्षा स्थापना प्रभारी)
4. श्री अनिल कुमार गुप्ता, सहायक संचालक मुख्यालय
5. श्री प्रशांत कुमार वर्मा सहायक प्रोग्रामर
6. श्री तैयब अली, सहायक ग्रेड-1
7. श्री नारायण प्रसाद कंडारे, सहायक ग्रेड-2
(आयुक्त द्वारा अनुमोदित)

29-05-19
अपर संचालक,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश
निरंतर.....2

//2//

पृ0कमांक/शि.स्था.3/भाग-2/537/2019/14680

भोपाल,दिनांक 29/5/19

प्रतिलिपि :-

- 1/- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल ।
- 2/- निज सहायक, अपर संचालक, मुख्यालय भोपाल ।
- 3/- समस्त संभागीय उपायुक्त, अनुसूचित जाति एवं आदिम जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश ।
- 4/- समस्त सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग मध्यप्रदेश ।
- 5/- समस्त जिला संयोजक, अनुसूचित जाति कल्याण मध्यप्रदेश ।
- 6/- संबंधित

29/5/19
अपर संचालक,
आदिवासी विकास,
मध्यप्रदेश